

[2023] 3 एस. सी. आर 150
रॉयडन हैरोल्ड बुथेलो एवं अन्य
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य
(आपराधिक अपील क्रमांक 634/2023)
28 फरवरी, 2023

[न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह]

आपराधिक विधि - सी.बी.आई. द्वारा अनुसंधान - कब निर्देशित नहीं किया जा सकता - अपीलार्थी क्र. 1 पर मनः प्रभावी एनडीपीएस पदार्थ के विक्रय में लिप्त होने का आरोप था- अपीलार्थी क्र. 1 का बचाव यह था कि जब वह अपने व्यवसाय के संबंध में यात्रा कर रहा था, तो उसका अवैध रूप से अपहरण कर उसे निरुद्ध कर लिया गया और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत असत्य मामला दर्ज कर लिया गया -अपीलार्थी क्र. 1 और उसके पिता-अपीलार्थी क्र. 2 ने उक्त मामले का अनुसंधान सी.बी.आई. को हस्तांतरित करने का निर्देश देने एवं अन्य अनुतोष हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे निरस्त कर दिया गया - आरोप विरचना आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई - अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया:- अनुसंधान को स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है- इसका उपयोग उन विरलतम और आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए जहां न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जाँच एजेंसी के हस्तक्षेप और अनुसंधान के बिना निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है - वर्तमान मामले में, सार्वजनिक महत्व का ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसके लिए सी.बी.आई. द्वारा अनुसंधान कराया जाना आवश्यक हो- अपीलार्थी की यह दलील कि कथित अपराध उसके द्वारा कारित ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अपराध दिनांक 21.10.2020 को कारित होना बताया गया है जबकि उसे किसी अन्य राज्य से अपहरण किया गया था और वह पहले से ही दिनांक 20.10.2020 से पुलिस की अवैध हिरासत में था, मूलतः आपराधिक मुकदमे में उनके बचाव से संबंधित है - अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए अन्य तर्कों व पहलुओं को सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है- अपीलार्थीगण यदि असन्तुष्ट हैं तो उनके पास अग्रिम विधिक अनुतोष प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध है - इस प्रकार, जब अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया बिंदु न्यायिक कार्यवाही में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्य की विषयवस्तु मात्र हो, तो सी.बी.आई. को अनुसंधान किए जाने का निर्देश दिया जाना

अनुचित होगा -आक्षेपित आदेशमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया - एन.डी.पी.एस. अधिनियम - धारा 29 सहपठित धारा 22 (ख), (ग), 25,27- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए -

अभिनिर्धारित: 1.1 यद्यपि इस संबंध में पूर्व से कोई कठोर दिशानिर्देश अथवा कोई निश्चित फार्मूला निर्धारित नहीं है, परंतु अनुसंधान को स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका उपयोग उन विरलतम और आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए जहां न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेषज्ञ जाँच एजेंसी के हस्तक्षेप और अनुसंधान के बिना निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है- उक्त पृष्ठभूमि में, इस मामले में सार्वजनिक महत्व का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका पता सी.बी.आई. द्वारा अनुसंधान करके लगाया जाना चाहिए। यद्यपि न्यायालय अपीलार्थियों की भावना के प्रति संवेदनशील है, परंतु मामले के तथ्यों तथा अपीलार्थियों द्वारा पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों से भी अंततः अपीलार्थी की यही दलील है कि कथित अपराध उसके द्वारा कारित ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अपराध दिनांक 21.10.2020 को कारित होना बताया गया है जबकि उसे किसी अन्य राज्य से अपहरण किया गया था और वह पहले से ही दिनांक 20.10.2020 से पुलिस की अवैध हिरासत में था। अपीलार्थियों की उक्त दलील मूलतः आपराधिक मुकदमे में उनके बचाव से संबंधित है। मामले में आरोप विरचित किए जा चुके हैं और साक्ष्य प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक यह आरोप कि 'पीबी', 'एस', 'एस' और 'ए' नामक उक्त व्यक्ति ओडिशा गए थे और उन्होंने अवैध रूप से अपीलार्थी का अपहरण कर लिया था, अपीलार्थियों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए विवरणों से यह दर्शित है कि उच्च न्यायालय ने इसी मामले से संबंधित एक संपार्श्विक कार्यवाही में आदेश दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से उक्त पांचों अधिकारियों को साक्षी के रूप में परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

1.2 इस दृष्टिकोण से, भले ही यह तर्क दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज, जिसे पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया है, ओडिशा के होटल में उक्त चार व्यक्तियों की उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रासंगिक होगा परंतु वास्तविक रूप में उससे यही स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि उक्त चार व्यक्तियों ने अपीलकर्ता क्र. 1 का अपहरण कर लिया था। विचारण के दौरान अपीलार्थियों द्वारा निर्दिष्ट पाँच व्यक्ति अब प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे और विचाराधीन कार्यवाही में इस संबंध में अन्य आदेश भी मांगा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचारण प्रगति पर है ऐसे में अपीलार्थी क्र.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के समय अन्य पहलुओं पर भी अपना मामला रखने और यदि आवश्यक हुआ तो साक्ष्य देने का भी हकदार होगा। अपीलार्थी के मामले से ही यह स्पष्ट है कि वह अपीलार्थी क्र. 01 का नाम

पूर्व की प्राथमिकी संख्या 255/2020 में सम्मिलित होने के आधार पर प्राथमिकी संख्या 232/2020 पर पंजीबद्ध अपराध के लिए दोषी न होने का तर्क क्यों दे रहा है। ये ऐसे बिन्दु हैं जिन्हें न्यायिक कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है जिसमें इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण किया जा सकेगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इस संबंध में अपीलार्थीगण यदि असन्तुष्ट हैं तो उनके पास अग्रिम विधिक अनुतोष प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, जहां तक अपीलार्थी क्र. 2 द्वारा की गई उक्त शिकायत का प्रश्न है तो प्रत्यर्थी क्र. 6 द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र से उनके द्वारा की गई जांच की प्रकृति मात्र बताई गई है। उस संबंध में भी अपीलार्थी सं. 2 के पास विधि अनुसार कानूनी उपचार उपलब्ध होगा। इसके अलावा, न्यायिक कार्यवाही की उक्त प्रक्रिया में यदि अपीलार्थी यह तथ्य सामने लाते हैं कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 उक्त अपराध में शामिल नहीं था, उसे फंसाया गया था और उसके विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया गया था, तो भी अपीलार्थियों के पास दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, प्रतिष्ठा की हानि, उक्त कृत्य में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजे और ऐसे अन्य अनुतोष के लिए कार्रवाई करने का विधिक उपचार उपलब्ध होगा। इस प्रकार, जब अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया बिंदु न्यायिक कार्यवाही में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की विषयवस्तु मात्र हो, तब ऐसी प्रकृति के मामले में इस प्रक्रम पर जबकि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत विचारण निर्बाध रूप से प्रगतिशील है, सी.बी.आई. को अनुसंधान करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। इसलिए, इस सीमा तक, अपीलार्थियों की सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष रखे जाने के लिए अपीलार्थीगण स्वतंत्र हैं। आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य विरुद्ध कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिम बंगाल एवं अन्य। (2010) 3 एस. सी. सी. 571 [2010] 2 एस. सी. आर. 979; मिथलेश कुमार सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य। (2015) 9 एससीसी 795: [2014] 13 एससीआर 1362; अर्नब रंजन गोस्वामी विरुद्ध भारत संघ (2020) 14 एससीसी 12: [2020] 8 एस. सी. आर. 222- अवलंबित

संदर्भित न्यायदृष्टांत

[2010] 2 एससीआर 979	अवलंबित	पैरा 17
[2014] 13 एससीआर 1362	अवलंबित	पैरा 17
[2020] 8 एससीआर 222	अवलंबित	पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार :- आपराधिक अपील क्रमांक 634/2023

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के डब्ल्यू. पी. सी. आर. क्रमांक 686/2020 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 10.01.2022 से उद्भूत आपराधिक अपील

अपीलार्थीगण की ओर से श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अदित्य देशमुख, डी. एम. गलानी, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, नील कमल मिश्रा, जतिन जावेरी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुमीर सोधी, देवाशीष तिवारी, शिबाशीष मिश्रा, श्रीमती साइरिका राजू, समर सिंह कछवाहा, राहुल मिश्रा, अक्षय नैन, कार्तिक डे, सुश्री जान्हवी प्रकाश, सुश्री श्रुति अग्रवाल, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इन अपीलों में अपीलार्थी, और प्रत्यर्थीगण समान हैं तथा विषय वस्तु भी एक ही मुद्दे से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुनवाई में लिया जाकर उनका निराकरण समान निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है। यह अपील एस.एल.पी. (आपराधिक) क्रमांक 2454/2022 से उद्भूत होकर डब्ल्यू.पी.सी.आर. क्रमांक 686/2020 में पारित आदेश दिनांकित 10.01.2022 के विरुद्ध दायर की गई है। एस.एल.पी. (आपराधिक) क्रमांक 7306/2022 से उत्पन्न अपील में आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 468/2021 में पारित आदेश दिनांकित 15.09.2021 को चुनौती दी गई है। उक्त दोनों आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित किए गए हैं।
3. उक्त आदेश दिनांकित 10.01.2022 अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में पारित किया गया है जिसमें अपीलकर्ता ने (i) आजाद चौक पुलिस स्टेशन, रायपुर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 232/2020, (ii) कोतवाली पुलिस स्टेशन, रायपुर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 255/2020, (iii) पुलिस अधीक्षक रायपुर के समक्ष की गई ऑनलाइन शिकायत संख्या 3334104012000003 दिनांकित 27.10.2020 और (iv) तालचेर पुलिस स्टेशन, अंगुल, ओडिशा के समक्ष की गई ऑनलाइन शिकायत संख्या 24488049072000014 दिनांकित 06.11.2020 के संबंध में न्यायालय की देखरेख में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (संक्षेप में, 'सी.बी.आई.') द्वारा अनुसंधान कराए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी आजाद चौक पुलिस स्टेशन, रायपुर व कोतवाली पुलिस स्टेशन, रायपुर द्वारा उक्त प्राथमिकी क्रमांक 232/2020 एवं 255/2020 के संबंध में दायर आरोप पत्र को रद्द करने का भी अनुरोध किया है जो वर्तमान में विद्वान विशेष न्यायाधीश एन. डी. पी. एस. अधिनियम, रायपुर के समक्ष विशेष प्रकरण क्रमांक 87/2020 एवं 98/2020 के समक्ष लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, सी.बी.आई. को न्यायालय में अनुसंधान की आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसकी निगरानी करने के निर्देश दिए जाने की भी प्रार्थना की गई है।
4. उक्त संबंधित अपीलों में, आदेश दिनांकित 15.09.2021 को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी की ओर से उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई , जिसमें विशेष न्यायाधीश एन. डी. पी. एस. अधिनियम, रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 98/2020 में पारित आदेश दिनांकित 14.07.2021 की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी गई थी जिसके अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में द.प्र. स.) निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 29 सहपठित धारा 22(ख), 22 (ग), 25 व 27 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित कर दिए गए, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।
5. उपरोक्त अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 01 के विरुद्ध स्वापक एनडीपीएस पदार्थ के विक्रय में सम्मिलित होने का आक्षेप है जिस कारण प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के

अधीन अभियोजन एजेन्सी ने प्राथमिकी क्रमांक 232/20 एवं 255/20 दर्ज की है तथा उनके संदर्भ में कार्यवाहियां पूर्व उल्लिखित विवरण अनुसार प्रगति पर हैं। अपीलार्थी क्रमांक 01 ने स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया है, जबकि अपीलार्थी क्रमांक 02, जो उसका पिता है, ने प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के अधीन अभियोजन एजेन्सी द्वारा की गयी कथित अवैध कार्यवाही से पीड़ित होकर उनके विरुद्ध दिनांक 27-10-2020 एवं 06-11-2020 को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की थी।

6. अपीलार्थीगण का दावा है कि वे मुंबई के निवासी हैं और अपीलार्थी क्रमांक 01 एक कुशल ऑटोमोबाइल इंजीनियर होकर एक आयकर दाता है। अपीलार्थी क्रमांक 02 एक व्यापारी है जो पिछले 36 वर्षों से आर/3, माथुर एस्टेट, प्रीमियर रोड, कुर्ला (डब्ल्यू), मुंबई में मेसर्स बुथेलो ट्रेवल्स के नाम से रसद, परिवहन, वाहन किराए पर देने आदि का व्यवसाय कर रहा है। अपीलार्थी क्रमांक 01 भी अपने पिता के उक्त व्यवसाय की देखभाल कर रहा है और इस कारण वह खनिजों के परिवहन से संबंधित अनुबंधों के संबंध में ओडिशा राज्य के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य भी जाता रहा है। यह भी अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 01 ने तदनुसार ओडिशा की यात्रा की और वहां होटल ग्रीन पार्क, तालचेर, जिला अंगुल, ओडिशा में दिनांक 15.10.2020 से दिनांक 20.10.2020 तक कमरा नंबर 220 का उपयोग भी किया था। अपीलार्थीगण का यह आक्षेप है कि दिनांक 20.10.2020 को दोपहर 01.00 बजे चार अज्ञात व्यक्ति सामने से टूटे हुये बम्पर वाली एक सफेद इनोवा कार में बैठकर उक्त होटल में आये और खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए होटल के रिसेप्शनिस्ट श्री विजया से मिले। इसके उपरांत उन्होंने कमरा नंबर 220 में आकर अपीलार्थी क्रमांक 1 से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपीलार्थी संख्या 01 का अपहरण कर लिया और उसे कार में बिठाकर रायपुर लेकर चले गये।

7. अपीलार्थी क्रमांक 01 का यह भी अभिकथन है कि संभलपुर और सोनीपत के बीच एक ढाबे पर रात्रि में भोजन लेते समय उसने उक्त चारों व्यक्तियों को आपस में बातचीत करते हुये सुना था जिसमें उन्होंने अपने नाम प्रमोद बेहरा, सुल्तान, संतोष और अली होना बताये थे। अपीलार्थी क्रमांक 01 के पास मोबाईल था और उसने अपने मोबाईल नंबर 8249518758 से कई कॉल भी किये थे। यह भी आक्षेपित किया गया है कि दिनांक 21.10.2020 को रात्रि लगभग 12.30 बजे रायपुर पहुंचने के बाद उक्त चारों व्यक्ति अपीलार्थी क्रमांक 01 को प्रत्यर्थी क्रमांक 05 के पास ले गये जहां उसे कुछ समय के लिए निरुद्ध रखा गया और उसका मोबाईल फोन और लेपटाप उससे ले लिये गये। अपीलार्थी क्रमांक 01 का यह भी दावा है कि इसके बाद उसे बिना कोई कारण बताये पूरी रात लॉकअप में रखा गया और दिनांक 21.10.2020 को शाम लगभग 07.15 बजे पुलिस उपनिरीक्षक श्री प्रियेश मैथ्यू जॉन ने उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 22(ख) के अंतर्गत प्राथमिकी क्रमांक 255/2020 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर ली गयी।

8. उक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थीगण द्वारा अपनी जो पीड़ा बतायी गयी है वह यह है कि अपीलार्थी क्रमांक 01 एक योग्य नागरिक है जिसे उसके व्यवसाय के संबंध में यात्रा करने के दौरान अपहृत एवं निरुद्ध कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस का मिथ्या मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके संबंध में उसके पिता- अपीलार्थी क्रमांक 02 द्वारा ऑनलाइन शिकायतें भी की गयी हैं। उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त उल्लेखित दिशा निर्देश जारी किये जाने की याचना की गयी है।

9. प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण द्वारा लगाये गये उक्त आक्षेपों के संबंध में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुये यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थीगण की उक्त अपराध में संलिप्तता के कारण ही उन्हें गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अग्रसर की गयी है।

10. उभयपक्ष के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और श्री गोपाल शंकर नारायण तथा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

11. इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में प्रारंभ से ही अभियोग पत्र एवं अन्य अग्रिम कार्यवाहियों को रद्द करने की प्रार्थना सम्मिलित थी , परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जा चुके हैं और अपीलार्थी क्रमांक 01 को आरोपो से उन्मोचित करने से इंकार करने संबंधी विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है, वर्तमान अपीलों में चाही गयी सहायता सीबीआई को उक्त मामले में अनुसंधान करने के निर्देश दिये जाने के अनुतोष मात्र तक सीमित है।

12. इस संदर्भ में, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि दिनांक 21.10.2020 को दर्ज प्राथमिकी क्रमांक 232/2020 अनुसार यह आक्षेपित किया गया है कि उक्त दिनांक को शाम 07.15 बजे अपीलार्थी क्रमांक 01 को जब आजाद चौक पुलिस ने पकड़ा था तब वह आजाद चौक पुलिस स्टेशन, सुलभ काम्पलेक्स के सामने आश्रम तिराहें के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ का विक्रय करने का प्रयास कर रहा था और उसके पास 9.240 ग्राम कोकिन बरामद हुई थी। अपीलार्थीगण का यह बचाव है कि उक्त अपराध उसके द्वारा कारित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उक्त अपराध रायपुर में दिनांक 21.10.2020 को घटित होना बताया गया है जबकि वास्तव में प्रमोद बेहरा, सुल्तान, संतोष और अली नाम के छत्तीसगढ़ पुलिस के चार पुलिस कर्मचारियों दिनांक 20.10.2020 को ही अपीलार्थी क्रमांक 01 को उड़ीसा के एक होटल से उसका अपहरण कर लाये थे और उसे अपनी अवैध हिरासत में रखा था। इस प्रकार, जिस दिनांक को उसके विरुद्ध उक्त कथित अपराध कारित किये जाने का आरोप है, उस समय वह उनकी अवैध अभिरक्षा में था, ऐसे में जो परिस्थितियां बतायी जा रही हैं वैसी परिस्थितियाँ वास्तव में नहीं हैं। यह भी चिंता व्यक्त की गयी है कि एक नागरिक जो विभिन्न राज्यों में अपने वैध व्यवसायिक गतिविधियों को चला रहा है, उसे मिथ्या रूप से उक्त मामले में "आलिप्त" कर उसे फंसाया गया है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 20.10.2020 को रात्रि 01.00 बजे होटल ग्रीन पार्क में जो स्थितियां उत्पन्न हुई वह यह इंगित करती हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस के उक्त चारो कर्मचारी उसे होटल लेकर गये थे और उसके पश्चात् अपीलार्थी क्रमांक 01 के नाम प्राथमिकी क्रमांक 255/2020 के साथ-साथ पूर्व से दर्ज अन्य मामलो में आलिप्त कर लिया गया।

13. राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त आक्षेप पूर्णतः अनुचित है। अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है और उसी के अनुसरण में अनुसंधान कार्यवाही की गयी है और अभियोग पत्र दायर किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा ली गयी प्रतिरक्षाएं विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान बचाव के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जा चुके हैं और विचारण प्रगति पर है। अपीलार्थी

का अपहरण कर उसे होटल से लाये जाने संबंधी आक्षेपों को पूर्णतः अस्वीकार करते हुये यह तर्क किया गया है कि भले ही पुलिस पूर्व से दर्ज एफआईआर के संबंध में अपीलरथी का पता लगाने उड़ीसा गयी थी, परंतु वे अपीलार्थी का पता लगाने में असमर्थ रहें थे और बाद में अपीलार्थी क्रमांक 01 को रायपुर में ही अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जा कर उसे गिरफ्तार किया गया है और विधि अनुसार कार्यवाही अग्रसर की गयी है। यह भी तर्क किया गया है कि सीबीआई द्वारा अनुसंधान कराये जाने की प्रार्थना आधारहीन है और इस न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार हर उस मामले में जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आक्षेप लगाये गये हैं, सीबीआई को अनुसंधान हेतु निर्देशित किये जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक नहीं है।

14. उभयपक्ष के उक्त प्रतिकूल तर्कों तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के संदर्भ में उभयपक्ष द्वारा की गयी दलीलो पर विचार किया गया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अपने विचार हेतु दो बिंदु निर्धारित किये थे, जिनमें एक बिंदु उक्त मामला सीबीआई को हस्तांतरित करने से संबंधित था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बिंदु क्रमांक 02 के रूप में उत्तरित किया गया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुये मामले का अनुसंधान सीबीआई को स्थानांतरित करने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, मामले का अनुसंधान सीबीआई को स्थानांतरित किये जाने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 01 को अवैध रूप से निरुद्ध कर उसे गंभीर अपराध में आलिप्त किया गया है, जबकि वह पूर्णतः निर्दोष है। इस संबंध में यह भी तर्क किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 01 के आधिपत्य में 9.240 ग्राम कोकिन पाये जाने और दिनांक 21.10.2020 को रायपुर में सुलभ काम्पलेक्स के सामने आश्रम तिराहे के पास उक्त मादक पदार्थ का विक्रय किये जाने का पूरा प्रकरण ही असत्य है। यह भी आक्षेपित किया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 01- छत्तीसगढ़ राज्य के चार पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त घटना के एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 20.10.2020 को ही एक अन्य राज्य से अपीलार्थी क्रमांक 01 का अपहरण कर उसे लाया गया था और अपीलार्थीगण के अनुसार अपीलार्थी क्रमांक 01 के विरुद्ध पूर्णतः अवैध और असत्य मामला दायर कर दिया गया है, जिसके संबंध में सीबीआई द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया जाना अपेक्षित है।

15. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्कों को बल देने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा अवलंबित शपथ पत्रों में लिये गये विरोधाभासी तथ्यों को भी आधार बनाया गया है। इस संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, प्रत्यर्थी क्रमांक 06 द्वारा प्रस्तुत प्रति-शपथपत्र, प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त शपथ पत्र एवं उक्त अतिरिक्त शपथ पत्र के जवाब में प्रत्यर्थी क्रमांक 06 द्वारा प्रस्तुत उत्तर शपथ पत्र पर निर्भरता प्रकट की गयी है। यद्यपि उक्त शपथ पत्रों में निहित विशिष्ट कथन हमारे समक्ष रखे गये हैं जिन पर हमने विचार भी किया है परंतु उक्त शपथ पत्रों में किये गये प्रत्येक कथन का अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताये गये तरीके से विश्लेषण करना हम उचित नहीं समझते। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस याचिका का दायरा अत्यंत सीमित है और इसके कारण लंबित आपराधिक कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकार प्रभावित न हों। जहां तथ्यों के संबंध में गंभीर विवाद है, तब उनका निराकरण शपथ पत्रों के आधार पर न होकर साक्ष्य के आधार पर होना चाहिये।

16. हालांकि, जिस सीमित दायरे की बात हम कर रहे हैं, वह यह है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 06- उड़ीसा राज्य द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उनके द्वारा सारतः तालचेर पुलिस स्टेशन अंगुल जिला उड़ीसा में दर्ज की गयी प्राथमिकी क्रमांक 0027 दिनांकित 22.01.2021 के संबंध में की गयी जांच को स्पष्ट किया गया है, जो अपीलार्थीगण द्वारा की गयी शिकायत के अनुसरण में की गयी थी। उक्त शपथ पत्र में अपीलार्थीगण द्वारा की गयी ऑनलाइन शिकायत के संबंध में किये गये अनुसंधान का भी उल्लेख किया गया है। उक्त शपथ पत्र में इस तथ्य का भी उल्लेख आया है कि अनुसंधान के दौरान वे ग्रीन पार्क होटल गये थे और उन्होंने चार व्यक्तियों के होटल में आने और उनके द्वारा स्वयं को छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मी होना बताये जाने और अपीलार्थी क्रमांक 01 का कमरा नंबर पूछे जाने के संबंध में कथन भी लेख किये गये थे। होटल के स्टाफ द्वारा यह भी बताया कि अपीलार्थी क्रमांक 01 ने स्वयं यह बताया था कि वहाँ कोई समस्या नहीं है और उसने बिल का भुगतान करने के उपरांत होटल से चेकआउट किया था। उक्त शपथ पत्र के उत्तर में प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 05 ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि उक्त शपथ पत्र से भी यही दर्शित होता है कि अपीलार्थी क्रमांक 01 ने स्वयं यह बताया था कि उस समय वहाँ सबकुछ सही था और जहां तक अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित पुलिस कर्मियों का प्रश्न है तो वे अन्य विभाग से संबंधित व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 05 की ओर से प्रस्तुत प्रति-शपथ पत्र में छत्तीसगढ़ पुलिस के पुलिस अधिकारियों का उड़ीसा राज्य की यात्रा करना अस्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि पुलिस अधिकारियों का एक दल अपीलार्थी को खोजने के लिए उड़ीसा अवश्य गया था, परंतु उन्हें अपीलार्थी के ठिकाने का कोई पता नहीं चला इस कारण वे खाली हाथ वापस आ गये थे। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 01 आदतन अपराधी है जो प्राथमिकी क्रमांक 255/2020 के अनुसंधान हेतु वांछित है। यद्यपि प्राप्त सूचना अनुसार अपीलार्थी को उड़ीसा में गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था, परंतु वह अगले दिन ही रायपुर में अवैध गतिविधियों लिप्त होना पाया गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा ग्रीन पार्क होटल में हुये जिस घटना को सामने लाते हुये अभियोजन के मामले को विवादित किया गया है, वह पूर्णतः निराधार है। क्या उक्त गंभीर विवादित तथ्यों के संबंध में सीबीआई द्वारा अनुसंधान कराया जाना उचित है इसी प्रश्न का उत्तर दिया जाना है।

17. उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रक्रम पर पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य विरुद्ध कमेटी फार प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिम बंगाल एवं अन्य (2010) 3 एससीसी 571 का उल्लेख किया जाना उचित होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

” **70.** इस मामले से अलग होने के पूर्व हम इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद कोई भी आदेश पारित करते समय न्यायालयों को उक्त संवैधानिक शक्तियों के उपयोग करते समय स्वनिर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। उक्त अनुच्छेदों के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जहां तक किसी मामले में अनुसंधान करने के लिए सीबीआई जैसी एजेन्सियों को निर्देश जारी करने का तथ्य है तो इस संबंध में कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किये जा सकते कि कब ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये, परंतु पूर्व में कई बार यह निर्धारित किया जा चुका है कि ऐसा कोई आदेश नियमित रूप से

अथवा केवल इस कारण से नहीं करना चाहियें कि स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कतिपय आक्षेप लगाये गये हैं। उक्त असाधारण शक्ति का उपयोग संयम, सावधानी एवं अपवादिक परिस्थितियों में केवल तब किया जाना चाहिये जबकि ऐसा किया जाना अनुसंधान में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हो और जहां कोई घटना राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय कलेवर की हो या जहां ऐसा आदेश किया जाना संपूर्ण न्याय एवं मौलिक अधिकारियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, अन्यथा की दशा में सीबीआई के पास ऐसे मामलों की बाढ़ आ जायेगी और सीमित संसाधनों के कारण उसे गंभीर मामलों में भी समुचित अनुसंधान करना दुष्कर होगा और इस प्रक्रिया में सीबीआई स्वयं अपनी विश्वसनीयता खो देगी।”

इसी प्रकार मिथिलेश कुमार सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य (2015) 9 एससीसी 795 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि -

12. फिर भी शक्ति की उपलब्धता और उसका प्रयोग दो अलग-अलग मामले हैं। यह न्यायालय केवल मांगने के लिए जांच के हस्तांतरण का निर्देश नहीं देता है और न ही स्थानांतरण का निर्देश केवल अहं को संतुष्ट करने या इसमें रुचि रखने वाले पक्ष की प्रतिष्ठा की पूर्ति करने के लिए है। ऐसी जांच के स्थानांतरण का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय की संतुष्टि पर निर्भर करता है कि किसी दिए गए मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसे आदेश की मांग करती हैं या नहीं। सभी मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए कोई कठोर और निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया गया है या संभवतः निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक मामला स्पष्ट रूप से अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण को निर्देशित करने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय इस सिद्धांत के प्रति संवेदनशील रहता है कि स्थानांतरण का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि कोई पक्ष अन्वेषक को किसी दिए गए निष्कर्ष पर ले जाना चाहता है। ऐसा तभी होता है जब जर्जर या पक्षपातपूर्ण जांच के कारण अन्याय होने की उचित आशंका हो तभी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थितियों में अपराध के पीड़ितों या उनके परिजनो की संवेदनशीलता पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। आखिरकार जांच को किसी बाहरी एजेंसी को स्थानांतरित करने का मतलब यह नहीं है कि स्थानांतरित एजेंसी अनिवार्य रूप से अपराध के कमीशन में किसी को झूठा फंसाएगी। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब किसी बाहरी एजेंसी को स्थानांतरण का आदेश दिया जाता है जिसे प्रभाव, दबाव और खींचतान से स्वतंत्र माना जाता है जो कि राज्य पुलिस द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच करते समय आम बात है। ऐसे मामलों में बाहरी एजेंसी में स्थानांतरण चाहने वाले पक्ष का विश्वास ऐसे या इसी तरह के अन्य विचारों से उस एजेंसी की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक न्यायालय स्थानांतरण के लिए प्रार्थना के पीछे कोई साजिश नहीं देखता। इसे केवल यह सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए कि सच्चाई की खोज की जाए। स्थानांतरणका मुख्य आधार किसी भी अन्य कारक से अधिक अंतरिती की स्वतंत्रता है। सत्य की खोज किसी भी जांच का अंतिम उद्देश्य है और इसे एक स्वतंत्र एजेंसी से बेहतर कौन कर सकता है।

13. यह कहने के बाद कि हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि इस न्यायालय ने कई विविध स्थितियों में स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग किया है। इंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने जांच को तब भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जब जांच की निगरानी राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। इसी तरह आरएस सोढ़ी एडवोकेट बनाम यूपी राज्य और अन्य में भी जांच तब भी स्थानांतरित कर दी गई जब राज्य पुलिस पुलिस महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी की देखरेख में आवश्यक कार्य कर रही थी और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया था। मामले की जांच के लिए इस न्यायालय ने माना कि पुलिस कितनी भी ईमानदारी से जांच कर ले, लेकिन उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी क्योंकि मुठभेड़ में शामिल पुलिस बल के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की हत्या हुई। इस न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को स्थानांतरण से "मृतक के रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित लोगों को आश्वासन मिलेगा कि एक स्वतंत्र एजेंसी इस मामले को देख रही है।"

14. इस संबंध में पंजाब राज्य बनाम सीबीआई के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है जहां इस न्यायालय ने एक सेक्स स्कैंडल के संबंध में जांच को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने के आदेश को बरकरार रखा था भले ही हाईकोर्ट ने डीआइजी और उनके अधिकारियों की टीम की जांच की सराहना की थी। सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ में इस न्यायालय ने कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता और उनके सत्ता और प्रभाव के पद या राजनीतिक दबदबे को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में चिटफंड घोटाले को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

15. यह कहना पर्याप्त है कि विभिन्न स्थितियों में स्थानांतरण का आदेश दिया गया है लेकिन ऐसा करते समय न्यायालय द्वारा लागू परीक्षण हमेशा यह रहा है कि क्या स्थानांतरण के लिए निर्देश आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए था जो सत्य की खोज की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से आवश्यक था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने शायद ही कभी जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने की प्रार्थना को संदेह की दृष्टि से देखा हो। ऐसे मामलों में जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत देने में न्यायालय की ओर से कोई अनिच्छा नहीं है और न ही स्थानांतरण की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के लिए दुर्व्यवहार या उपेक्षा का अत्यंत मजबूत मामला बनाना आवश्यक है। जहां एक बार न्यायालय उपलब्ध रिकार्ड से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा किया जाना उक्त मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तब स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।

18. उपरोक्त उल्लिखित निर्णय वास्तव में अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपने इस तर्क को बल प्रदान करने के लिए उद्धृत किए गए हैं कि इस न्यायालय को मामले को सी.बी.आई. को संदर्भित करने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करना चाहिये। इस संबंध

में, दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है और अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ (2020) 14 एस. सी. सी. 12 के मामले में हाल के निर्णय पर भी विचार किया है जिसमें उक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुये यह स्पष्ट किया गया है कि जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग संयम से और आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

52. जाँच को सी.बी.आई. को हस्तांतरित करने के तर्क का आकलन करने हेतु हमने अपना निर्णय लेने के लिए अभिलेख पर किए गए अभिकथनों और याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलीलों का विश्लेषण किया है। हम ऐसा कोई कारण नहीं ढूँढ पा रहे हैं जिससे जांच को सीबीआई को स्थानांतरित किया जा सके। ऐसा निर्धारित करने के लिए हमने इस न्यायालय के पूर्ववर्ती सुसंगत न्यायदृष्टांतों में वर्णित परीक्षणों को लागू किया है, परंतु वे यहाँ लागू नहीं होते। जाँच के अधीन व्यक्ति को एक निष्पक्ष प्रक्रिया की वैध अपेक्षा होती है जो कानून के अनुरूप होती है। जिस तरीके से जाँच आगे बढ़ती है, उसके बारे में अभियुक्त व्यक्ति की अप्रसन्नता या जाँच करने वाली पुलिस के खिलाफ हितों के टकराव का (जैसा कि वर्तमान मामले में है) अप्रमाणित आरोप कानून की वैध प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतारना चाहिए और जाँच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए इस न्यायालय की असाधारण शक्ति का आह्वान करना चाहिए। अदालतें असाधारण परिस्थितियों में जांच को स्थानांतरित करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र मानती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपराधिक न्याय के प्रशासन की पवित्रता को संरक्षित किया गया है। हालांकि कोई अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं, यह धारणा कि इस तरह का स्थानांतरण एक "असाधारण शक्ति" है जिसका उपयोग "संयम से" और "असाधारण परिस्थितियों में" किया जा सकता है, इस विचार के साथ मेल खाती है कि नियमित स्थानांतरण न केवल कानून की सामान्य प्रक्रिया में जनता के विश्वास को प्रभावित करेगा, बल्कि उन असाधारण स्थितियों को भी अर्थहीन बना देगा जो जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति के प्रयोग की गारंटी देते हैं। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए कथनों और प्रस्तुतियों को संतुलित और विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि इस प्रकृति का कोई भी मामला जो इस न्यायालय के पूर्व न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित परीक्षणों के दायरे में आता है, जांच के हस्तांतरण के लिए स्थापित नहीं किया गया है।

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि इस संबंध में कोई अनम्य दिशानिर्देश अथवा कोई सीधा सूत्र निर्धारित नहीं है, परंतु अनुसंधान को स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका उपयोग उन विरलतम और आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए जहां न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेषज्ञ जाँच एजेंसी के हस्तक्षेप और अनुसंधान के बिना निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है।

20. उक्त पृष्ठभूमि में, यदि उभयपक्ष की उक्त प्रतिकूल दलीलों पर विचार किया जाये तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस मामले में सार्वजनिक महत्व का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका

पता सी.बी.आई. द्वारा अनुसंधान करके लगाया जाना चाहिए। यद्यपि उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आक्षेपों के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय अपीलार्थियों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील है, परंतु उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों तथा अपीलार्थियों द्वारा पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों से भी अंततः अपीलार्थी का यही बचाव प्रकट होता है कि कथित अपराध उसके द्वारा कारित ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अपराध दिनांक 21.10.2020 को कारित होना बताया गया है जबकि उसे किसी अन्य राज्य से अपहरण किया गया था और वह पहले से ही दिनांक 20.10.2020 से पुलिस की अवैध हिरासत में था। अपीलार्थियों की उक्त दलील मूलतः आपराधिक मुकदमे में उनके बचाव से संबंधित है। मामले में आरोप विरचित किए जा चुके हैं और साक्ष्य प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक यह आरोप कि प्रमोद बेहरा, सुल्तान, संतोष और अली नामक उक्त व्यक्ति ओडिशा गए थे और उन्होंने अवैध रूप से अपीलार्थी का अपहरण कर लिया था, अपीलार्थियों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए विवरणों से यह दर्शित है कि उच्च न्यायालय ने एक संपाश्विक कार्यवाही में दिनांक 17.03.2022 के आदेश के माध्यम से उक्त पांचों अधिकारियों को साक्षी के रूप में परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

21. इस दृष्टिकोण से, भले ही यह तर्क दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज ओडिशा के होटल में उक्त चार व्यक्तियों की उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रासंगिक होगा और जिसे पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया है, परंतु वास्तविक रूप में उससे यही स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि उक्त चार व्यक्तियों ने अपीलकर्ता क्र. 1 का अपहरण कर लिया था। विचारण के दौरान अपीलार्थियों द्वारा निर्दिष्ट पाँच व्यक्ति अब प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे और विचाराधीन कार्यवाही में इस संबंध में अन्य आदेश भी मांगा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचारण प्रगति पर है ऐसे में अपीलार्थी क्र.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के समय अन्य पहलुओं पर भी अपना मामला रखने और यदि आवश्यक हुआ तो साक्ष्य देने का भी हकदार होगा। अपीलार्थी के मामले से ही यह स्पष्ट है कि वह अपीलार्थी क्र. 01 का नाम पूर्व की प्राथमिकी संख्या 255/2020 में सम्मिलित होने के आधार पर प्राथमिकी संख्या 232/2020 पर पंजीबद्ध अपराध के लिए दोषी न होने का तर्क क्यों दे रहा है। ये ऐसे बिन्दु हैं जिन्हें न्यायिक कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है जिसमें इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण किया जाएगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इस संबंध में अपीलार्थीगण यदि असन्तुष्ट हैं तो उनके पास अग्रिम विधिक अनुतोष प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, जहां तक अपीलार्थी क्र. 2 द्वारा की गई उक्त शिकायत का प्रश्न है तो प्रत्यर्थी क्र. 6 द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र से उनके द्वारा की गई जांच की प्रकृति ही बताई गई है। उस संबंध में भी अपीलार्थी सं. 2 के पास विधि अनुसार कानूनी उपचार उपलब्ध होगा।

22. इसके अलावा, न्यायिक कार्यवाही की उक्त प्रक्रिया में यदि अपीलार्थी यह तथ्य सामने लाते हैं कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 उक्त अपराध में शामिल नहीं था, उसे फंसाया गया था और उसके विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया गया था, तो भी अपीलार्थियों के पास दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, प्रतिष्ठा की हानि, उक्त कृत्य में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजे और उस संबंध में ऐसे अन्य अनुतोष के लिए कार्रवाई करने का विधिक उपचार उपलब्ध होगा। इस प्रकार, जब अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया बिंदु न्यायिक कार्यवाही में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की विषयवस्तु मात्र हो, तब ऐसी प्रकृति के मामले में इस प्रक्रम पर जबकि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत विचारण

निर्बाध रूप से प्रगतिशील है, सी.बी.आई. को अनुसंधान करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। इसलिए, इस सीमा तक, अपीलार्थियों की सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं और जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष रखे जाने के लिए अपीलार्थीगण स्वतंत्र हैं।

23. अतः उपरोक्त उल्लेखित कारणों से इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण दर्शित नहीं होता। अतः यह अपील परिव्यय बिना लगाये खारिज की जाती हैं।

24. लंबित आवेदन पत्र, यदि कोई हों तो, वह भी निराकृत समझे जावें।

(Mohd. Neyamat Husain Rajvi)